(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1830–तीन/2003 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 30–03–1995 पारित व्दारा अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 67/1993–94 अपील

महाबली सिंह पुत्र लखपत सिंह
ग्राम तरका तहसील सिंहावल जिला सीधी ———आवेदक

विरूद्व

छठिलाल पुत्र दौलत अहिर
ग्राम बारपान तहसील सिंहावल जिला सीधी ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 –09–2017 को पारित)

अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 67/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–1995 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बारपान की भूमि सर्वे कमांक 22 एंव 51 के भूमिस्वामी दौलत अहिर थे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने ग्राम वारपान की नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 31 वर्ष 1988–89 पर दौलत अहिर के बजाय अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 117/1992–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–2–1994 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी।

इस आदेश के विरूद्व अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर बंदोवस्त आयुक्त ने प्रकरण कमांक 67/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–1995 से बंदोवस्त अधिकारी सीधी का आदेश दिनांक 25–2–1994 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि बंदोवस्त कार्यवाही के पूर्व से ही आवेदक राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज रहा है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने पूर्व के राजस्व अभिलेखों के अनुसार आवेदक के नाम का अधिकार अभिलेख तैयार किया है जिसका विधिवत् प्रकाश हुआ है किन्तु आपत्ति नहीं आने पर नाम अंकित किया गया है किन्तु अपर बंदोवस्त अधिकारी व्दारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने की गलती की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर का आदेश दिनांक 30–3–1995 निरस्त किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 117/91–92 प्रस्तुत कर बताया है कि बिना इस्तहार एंव नोटिय दिये बिना पिता दौलत अहिर की भूमि आवेदक के नाम कर दी गई है। अनावेदक ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन देकर सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी के ग्राम वारपान की नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 31 वर्ष 1988–89 के बारे में जानकारी होने के संबंध में बताया है कि दिनांक 11–3–92 को उसे जानकारी उस समय हुई जबकि अपीलांट ने अपने पिता के नाम धारित पटटे की भूमियों के अधिकार अभिलेख एंव ऋण पुस्तिका की नकल की मांग करते

हुये आवेदन तहसील में दिया जिस पर दिनांक 16–3–92 को नकल ली है तब उसे जानकारी हुई, इस तथ्य के पुष्टिकरण में शपथ पत्र भी दिया गया है जिसके कारण अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने आदेश दिनांक 30–3–1995 पारित करते समय वास्तविक स्थिति समझकर बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 25–2–1994 को निरस्त किया है। अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 25–2–1994 को निरस्त करने से अधीनस्थ न्यायालय में उभय पक्ष को सुनवाई के दौरान पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 67/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–3–1995 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर